चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : सम्बद्धता / 1851
दिनांक : 12.09.2005

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
आई0पी0 (पी0जी0) कॉलिज,
बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।

महोदय,

कृपया माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या–ई0स0. 1522 / जी0एस दिनांक 29.07.2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके महाविद्यालय को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर–प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के अधीन स्नातक स्तर पर बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2005 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या मे इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्ध रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रवक्ताओं की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(62) / 2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा– निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेश का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धाग्रित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर–प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियॉ आगामी 30 सितम्बर, 2005 तक पूर्ण कर लेगा।

अतः कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में एक सैक्शन में उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव (कमेटी सैल / लेखा / परीक्षा / अतिगोपनीय)
3. प्रभारी, प्रोफेशनल कोर्स (रिजल्ट सैल)।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 824
दिनांक : 19 जून, 2008

सचिव,
ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय,
बुलन्दशहर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0–151/सत्तर–2–2008–2 (195)/2008, दिनांक 30.05.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय, बुलन्दशहर** को **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन सत्र **2008–2009 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक एंव कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय, बुलन्दशहर** को **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन सत्र **2008–2009 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 678
दिनांक : 20/5/2010

सेवा में,

प्राचार्य,
आई0पी0 (पी0जी0) कालेज,
बुलन्दशहर

विषय :– **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में एक–एक अतिरिक्त सैक्शन की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रस्ताव जोकि **आई0पी0 (पी0जी0) कालेज, बुलन्दशहर** के बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में **सत्र 2010–2011 से एक–एक अतिरिक्त सैक्शन** की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में एक–एक अतिरिक्त सैक्शन** में सत्र 2010–2011 से सम्बद्धता की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश शैक्षिक सत्र 2010–2011 से करेंगे एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे अन्यथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में शासन को अवगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस अनुमति उपरान्त महाविद्यालय के पास बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में कुल 120 सीटों एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में कुल 60 सीटों की प्रवेश क्षमता होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

D : Evening (809)